आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 22.04.2026 समय : 0705

<><><><><><><>

1. आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर उप–राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने कहा –हमारे ग्रह की रक्षा करने की शक्ति हमारे हाथों में है।

2. जिला प्रशासन की स्मार्ट रूपरेखा के तहत, जन–शिकायत निवारण के लिए विशेष राजस्व शिविर आज से शुरू।

3. जनगणना अधिनियम (1948) के तहत जनता के कर्तव्यों और अधिकारों की जानकारी साझा की गई है।

4. अंडमान निकोबार प्रशासन ने नाइट सी कयाकिंग के संचालन के लिए दिशा–निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया को अपनी मंजूरी दी है।

<><><><><><><>

आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उप–राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने द्वीपवासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे ग्रह की रक्षा करने की शक्ति हमारे हाथों में है। इस वर्ष का विषय, ''हमारी शक्ति, हमारा ग्रह'' है, जो पृथ्वी की रक्षा व संरक्षण के हमारे साझा कर्तव्य की याद दिलाता है। 'हमारा ग्रह' हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे जंगलों, महासागरों, जैव विविधता और जलवायु की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। उप–राज्यपाल ने कहा कि द्वीप समूह अपनी अद्वितीय पारिस्थितिक समृद्धि के लिए जाना जाता है, जिनमें समुद्र के बढ़ते स्तर, चरम मौसम की घटनाएं और जैव विविधता की हानि शामिल हैं। उन्होंने नागरिकों से ऊर्जा संरक्षण, कचरे को कम करने, प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने और स्थायी प्रथाओं का समर्थन करने की अपील की है।

<><><><><><><>

उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रों और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इस बीच, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहले ही मंदिर पहुंच चुके हैं। केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। बाबा केदार की पंचमुखी प्रतिमा की पालकी भी केदारनाथ धाम पहुंच गई है।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने राजस्व अभिलेखों में नाम सुधार से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा की है। जिला प्रशासन की स्मार्ट रूपरेखा के तहत, जन शिकायतों के समयबद्ध निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए विशेष राजस्व शिविर न्यायालय आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह शिविर आज, कल और 24 अप्रैल, को शाम 4 बजे से तथा 29 और 30 अप्रैल, को सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इन शिविरों के दौरान प्रतिदिन लगभग 40 मामलों की सुनवाई की जाएगी। संबंधित पक्षों को टेलीफोन के माध्यम से अग्रिम सूचना दी जाएगी। इसके अलावा दक्षिण अंडमान जिला कार्यालय के रीडर सेक्शन के माध्यम से औपचारिक नोटिस भी जारी किए जाएंगे। सभी संबंधित व्यक्तियों से इन शिविरों के सुचारू संचालन के लिए सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। प्रशासन ने **Ease of Doing Business** को बढ़ावा देने और पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त सेवा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं। नागरिक जिला नियंत्रण कक्ष के टोल–फ्री नंबर 1077 या ईमेल पर भ्रष्टाचार संबंधी शिकायते दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा सभी कार्य दिवसों में शाम 3 बजे से 4 बजे के बीच जिला उपायुक्त से भी संपर्क किया जा सकता है।

<><><><><><><>

टीबी मुक्त भारत अभियान – 100 दिवसीय अभियान के तहत, दक्षिण अंडमान जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से कॉलेज के छात्रों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य निक्षय मित्र पहल के अंतर्गत स्वयंसेवकों का पंजीकरण करना और टीबी रोगियों के लिए सामाजिक सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना था। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने निक्षय मित्र पहल की अवधारणा और महत्व पर प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी देते हुए स्वयंसेवकों की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला। इस पहल के तहत 26 नए स्वयंसेवकों का सफल पंजीकरण किया गया। इसके अलावा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें टीबी रोगियों को सहायता प्रदान करने के लिए निक्षय मित्र के रूप में पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया।

<><><><><><><>

जनगणना अधिनियम (1948) के तहत जनता के अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जानकारी दी गई है। अधिनियम की धारा (8) के तहत जनगणना अधिकारी अपने नियुक्त स्थानीय क्षेत्र की सीमा के भीतर सभी व्यक्तियों से ऐसे सभी प्रश्न पूछ सकता है, जिन्हें पूछने के लिए केंद्र सरकार, द्वारा जारी निर्देशों और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेशों के माध्यम से निर्देशित किया गया हो। जिस भी व्यक्ति से

उप–धारा (1) के तहत कोई प्रश्न पूछा जाता है, वह अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के आधार पर ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगा। लेकिन, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की किसी भी महिला सदस्य का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होगा, और कोई भी महिला अपने पति, दिवंगत पति या किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होगी, जिसका नाम लेना प्रथा के अनुसार उसके लिए वर्जित हो। अधिनियम की धारा (9) के तहत प्रत्येक घर या परिसर के निवासी को जनगणना अधिकारियों को आवश्यक प्रवेश देने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि जनगणना कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक चिह्न या नम्बर लगाने की अनुमति भी देनी होगी।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार प्रशासन ने द्वीप समूह में नाइट सी कयाकिंग (बेसिक) के संचालन के लिए दिशा–निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। ये दिशा–निर्देश पर्यटन को बढ़ावा देने, नाइट सी कयाकिंग गतिविधियों को विनियमित करने और पर्यटकों एवं ऑपरेटरों दोनों की सुरक्षा, सुरक्षा और समग्र अनुभव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सभी पर्यटन हितधारकों और आम जनता से निर्धारित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। विस्तृत दिशा–निर्देश सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

<><><><><><><>

मायाबंदर के ग्राम पंचायत हॉल में हाल ही में आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं, जिनमें गैर–संचारी रोगों और तपेदिक की स्क्रीनिंग के साथ–साथ सामान्य ओपीडी सेवाएं शामिल थीं। इसके साथ ही स्वास्थ्य जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें टीबी, एचपीवी टीकाकरण और सामान्य स्वास्थ्य सुधार जैसे प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 के तहत 100 दिवसीय अभियान के हिस्से के रूप में, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों सहित आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए एक जन भागीदारी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। शिविर में कुल 26 लाभार्थी शामिल हुए।

<><><><><><><>

विज्ञान केंद्र, की ओर से कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्रों के लिए 2 मई से 30 मई तक अवकाश शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य गर्मियों की छुट्टियों के दौरान छात्रों को विज्ञान

के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह शिविर दो पालियों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विषयों और ट्रेडों को शामिल किया गया है। पहली पाली सुबह 9 बजकर 15 से 11 बजे तक और दूसरी पाली सुबह 11 बजकर 15 से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। इच्छुक छात्र **sciencecentre.fun/camp/** के माध्यम से ऑनलाइन या 24 से 26 अप्रैल तक सुबह साढ़े दस से शाम 5 बजे के बीच विज्ञान केंद्र जाकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। पंजीकरण शुल्क 500 प्रति ट्रेड निर्धारित की गई है। छात्रों की आवाजाही के लिए विज्ञान केंद्र द्वारा दो मार्गों पर बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका शुल्क 250 रूपये प्रति ट्रेड प्रति सप्ताह होगा।

<><><><><><><>